बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 :–2/अ0प्र0–8–01/2019 114 /पटना, दिनांक :– 28.2.25

श्री नवाब लाल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा दिनांक 11.01.2019 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–03/2019 दिनांक 11.01.2019 धारा–7(a) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क),(ग) एवं 9(2)(क) के तहत श्री लाल को कार्यालय आदेश संख्या–30 सह–पठित ज्ञापांक 477 दिनांक 22.02. 2019 द्वारा दिनांक 11.01.2019 के प्रभाव से निलम्बित किया गया। निलंबन अवधि में श्री लाल का मुख्यालय– अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया।

2. कारा से रिहा होने के पश्चात श्री नवाब लाल द्वारा दिनांक 30.09.2020 को अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया गया। श्री लाल द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(i) के तहत श्री लाल का दिनांक 30.09.2020 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया। श्री लाल के विरूद्ध भ्रष्टाचार/कदाचार का अपराधिक मामला विचाराधीन रहने एवं इस मामले में अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिये जाने के कारण कार्यालय आदेश संख्या–26 सह–पठित ज्ञापांक 938 दिनांक 22.02.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क),(ग) एवं 9(2)(क) के तहत श्री लाल को योगदान की तिथि 30.09.2020 से पुनः निलम्बित किया गया। निलंबन अवधि में श्री लाल का मुख्यालय– अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया।

3. श्री लाल के विरूद्ध गंभीर कदाचार के आरोपों पर गठित आरोप पत्र के आधार पर कार्यालय आदेश सं0 29–सह–पठित ज्ञापांक 1014 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है।

4. श्री लाल द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 24.09.2024 में निलम्बन अवधि एक वर्ष से अधिक होने के कारण अपने पारिवारिक/आर्थिक समस्याओं को इंगित करते हुए जीवन निर्वाह भता में 50 प्रतिशत वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है।

5. श्री लाल द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में मामले की समीक्षोपरान्त इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निर्णय में विलम्ब की संभावना को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10(1)(i) में निहित प्रावधानों के तहत श्री लाल के जीवन निर्वाह भत्ता में उनके निलंबन अवधि 01 वर्ष पूरा होने की तिथि से 50 प्रतिशत की वृद्धि अर्थात् कुल 75 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी जाती है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

28/2/25

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@ni

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–8–01/2019 2407 /पटना/दिनांकः– 28.2.25

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–8–01/2019 2407 /पटना/दिनांकः– 28.2.25

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव (प्रशाखा–12), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–8–01/2019 2407 /पटना/दिनांकः– 28.2.25

प्रतिलिपिः– संचालन पदाधिकारी–सह–मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–8–01/2019 2407 /पटना/दिनांकः– 28.2.25

प्रतिलिपिः– श्री नवाब लाल, तदेन कनीय अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज सम्प्रति निलंबित मुख्यालयः–अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–8–01/2019 2407 /पटना/दिनांकः– 28.2.25

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव